

प्रेस नोट दिनांक-12.06.2022

(1). दिनांक-11.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री भास्कर मिश्रा, यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा कर्वी शहर में कोतवाली कर्वी से ट्रैफिक चौराहा से बस स्टैंड से ट्रैफिक चौराहा तक पैदल गस्त किया गया। पैदल गस्त के दौरान दुकानदारों से सड़क पर अवैध अतिक्रमण न करने हेतु जागरूक किया गया एवं दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं यातायात प्रभारी को अतिक्रमण हटवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(3). दिनांक-11.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(4). आज दिनांक 12.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैंड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब की निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश कुमार मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा भैसोंधा मोड से से अभियुक्त राजबहादुर उर्फ देवकुमार पुत्र जगमोहन प्रसाद वर्मा निवासी चकला गुरुबाबा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 35 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

35 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश कुमार मौर्या
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में टॉप-10/जिलाबदर/गैंगेस्टर/हिस्ट्रीसीटर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शोलेन्द्र कुमार राय व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी. सोनकर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा टॉप-10/जिलाबदर अपराधी शब्बीर अहमद को लाइसेंसी रायफल व जिन्दा कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 12.06.2022 को वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पैश्वनी नदी के पुल के पास सड़क के किनारे बाहद ग्राम भदेदू से टॉप-10/जिलाबदर अपराधी शब्बीर अहमद पुत्र फजल अहमद निवासी बहनन का पुरवा मजरा सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद लाइसेंसी रायफल 315 बोर व 07 अदद जिन्दा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर थाना राजापुर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 94/22 धारा 03/10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया। यह अपराधी थाना राजापुर का टॉप-10 अपराधी है।

अभियुक्त की लाइसेंसी रायफल व कारतूसों को कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट भेजी जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:-

टॉप-10/जिलाबदर अपराधी शब्बीर अहमद पुत्र फजल अहमद निवासी बहनन का पुरवा मजरा सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

01 अदद लाइसेंसी रायफल 315 बोर व 07 अदद जिन्दा कारतूस 315

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 78/12 धारा 8/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 24/13 धारा 489(ख)/489(ग) भादवि0
3. मु0अ0सं0 202/18 धारा 110जी सीआरपीसी
4. मु0अ0सं0 69/18 धारा 379/353 भादवि व 04/21 खनिज अधि0 व ¾ लो0 सं0 क्ष0 निवा0 अधि0
5. मु0अ0सं0 96/20 धारा 147/148/149/379/411/186/353 भादवि0 04/21 खनिज अधि0 व ¾ लो0 सं0 क्ष0 निवा0 अधि0
6. मु0अ0सं0 156/21 धारा 147/148/149/323/504 भादवि0
7. मु0सि0नं0 94/21 धारा 110जी सीआरपीसी

8. मु0अ0सं0 94/21 धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट
9. मु0अ0सं0 197/21 धारा 110जी सीआरपीसी
10. मु0अ0सं0 94/22 धारा 03/10 यूपी0 गुण्डा एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द
3. आरक्षी कामता सिंह
4. आरक्षी अंकित सचान